


स्वायत्त उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगाढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा सिविर 2025 कैम्प स्थल - रोहिया)



धारा अन्वर्त - 136

प्र.सं. 213/25 दिनांक 27/09/2025 निर्णय दिनांक 27/09/2025

क्र.सं.	नाम-प्राप्त	ज्ञान	रिपोर्ट			कपासन आदेश	
1	<u>रोहिया</u>	<u>4</u>	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टि</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर</p>	<p>शुद्ध प्रविष्टि</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया</p>	<p>हस्ताक्षर प्रदाता</p> <p><u>[Signature]</u></p>	<p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p> <p><u>[Signature]</u></p>	<p>कपासन आदेश</p> <p>तहसीलदार कपासन की अनुशांशा स्वीकार की जाकर राज भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अधीन अनुशांशा राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>रोहिया</u> प.ह. <u>रोहिया</u> खालास में वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरांमद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
प्रतिनिधि पालनार्थ:-			<p>हस्ताक्षर पटवारी</p> <p><u>[Signature]</u></p>	<p>हस्ताक्षर प्रदाता</p> <p><u>[Signature]</u></p>	<p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p> <p><u>[Signature]</u></p>	<p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>	

1. पटवारी पटवार मण्डल रोहिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरांमद करें।

तहसीलदार (भू.अ.) कपासन

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चितौडगाढ